

04-09-25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रॉपत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का यह प्रॉपत्र न्यायिक कार्यवाही का ना होकर डॉक्टर सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निर्णय किया जाना है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र न्यायिक प्रकृति का नहीं है। अतः वकील प्रार्थी का प्रॉपत्र स्वीकार कर प्रार्थी का यह प्रॉपत्र दैनिक सुनवाई से हटाकर निर्णय किया जाता है। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र डॉक्टर सलाहकार समिति की आगामी बैठक में पेश हो।



(सुनील कुमार चौहान)
RAS.